रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 501] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 19, 1989/भाद्र 28, 1911
No. 501] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 19, 1989/BHADRA 28, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1989

सा. का. नि. 845 (अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 54) की धारा 11 और धारा 30 की उप धारा (2) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल दावा अधिकरण (वित्तीय और प्रशासनिक शक्ति) नियम, 1989 है।

(2) ये अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) के अर्थ के भीतर "नियत दिन" को लागू होंगे।

2. इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) "अधिनियम" से रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 54) अभिप्रेत है –

3. न्यायपीठ की उस स्थान से भिन्न स्थान पर बैठकें जहां वह साधारणतया अधिविष्ट होता है:—यदि किसी समय अध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिन से न्यायपीठ की, उसकी अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले किसी ऐसे स्थान से जहां वह साधारणतया अधिविष्ट होता है भिन्न स्थान पर बैठकों की आवश्यकता है तो वह यह निदेश दे सकेगा कि न्यायपीठ अपनी बैठकें किसी ऐसे स्थान पर करे।

4. अध्यक्ष की शक्तियां—अध्यक्ष को अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों की बाबत वही शक्तियां होंगी जो भारतीय रेल वित्तीय संहिता, भारतीय रेल स्थापन संहिता, रेल सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968, रेल सेवक (आचरण) नियम, 1966 और रेल सेवक (पास) नियम, 1986 के अधीन रेल प्रशासन के किसी महाप्रबंधक को है।

परन्तु वित्तीय शक्तियों का प्रयोग सरकार द्वारा सहयुक्त वित्त सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी की सलाह प्राप्त करने के पश्चात् समय समय पर जारी किए गये प्रक्रिया संबंधी या अन्य अनुदेशों के अधीन होगा।

अनुसूची

1. मंजूर पदों के संबंध में रिक्तियों भरने नियुक्तियां और प्रोन्नति।

2. छुट्टी की मंजूरी।

S NO. 13

3. पास जारी करना ।

4. साधारणतया स्थापना संबंधी विषय ।

5. प्रत्येक वर्ष के लिए मंजूर अनुदान में इस प्रयोजन के लिए आवंटित रकम के भीतर आकस्मिक व्यय ।

6. एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में पुनः विनियोजन ।

7. भंडार में हानियों और कमियों को अपलिखित करना ।

8. पुरानी वस्तुओं का व्ययन ।

9. नकदी की हानि का अपलिखित किया जाना ।

10. शासकीय प्रयोजन के लिए यानों का किराए पर लिया जाना ।

11. उधारों की मंजूरी और अपलिखित किया जाना ।

12. शासकीय प्रयोजन के लिए स्थान किराए पर लेना ।

[सं. 89/टी. सी. (आर सी.टी.) 1-3]

रंजीत माथुर, विशेष कार्य अधिकारी, रेलवे बोर्ड

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 1989

G.S.R. 845 (E).—In exercese of the powers conferred by Section 11 and Clause (C) of sub-section (2) of Section 30 of the Railway Claims Tribunal Act, 1987 (54 of 1987), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short Title and Commencement

(1) These rules may be called the Railway Claims Tribunal (Financial and Administrative Powers) Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the 'appointed day' within the meaning of Clause (b) of Section(2) of the Act.

2. In these rules, unless the context otherwise requires,

(1) 'Act' means the Railway Claims Tribunal Act; 1987 (54 of 1987) ;

3. Sitting of a Bench at a place other than the place where it ordinarily sits : If at any time, the Chairman is satisfied that circumstances exist which necessitate sittings of the Bench at any place falling in its jurisdiction other than the place at which it ordinarily sits, he may direct that the Bench may hold its sittings at any such place.

4. Powers of Chairman : The Chairman shall have the same powers in respect of matters specified in the Schedule as are conferred on a General Manager of a railway administration under the Indian Railway Financial Code, Indian Railway Establishment Code, Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968, Railway Servants (Conduct) Rules, 1966, and Railway Servants (Pass) Rules, 1986 :

Provided that the exercise of the Financial powers shall be subject to any procedural or other instructions issued from time to time by the Government and after obtaining the advice of the associated Financial Adviser and Chief Accounts Officer.

SCHEDULE

1. Appointments and promotions against vacancies in respect of sanctioned posts.
2. Grant of Leave.
3. Issue of Passes.
4. Establishment matters generally.
5. Contingent expenditure within the amount allotted for this purpose in the sanctioned grant for each year.
6. Re-appropriation from one sub-head to another.
7. Write off of losses and deficiencies in stores.
8. Disposal of worn out articles.
9. Write off of losses of cash,
10. Hiring of vehicles for official use.
11. Sanction and write off of advances.
12. Hiring of accommodation for official use.

[No. 89|TC(RCT)|1-3]

RANJIT MATHUR, Officer on Special Duty, Railway Board.

Printed by the Manager Govt of India Press, Ring Road, New Delhi-110064